

भारत सरकार  
कार्यालय आयकर आयुक्त,  
वाराणसी ।

फा० सं० वारा०/आयुक्त/62(118)/2007-08/

दिनांक: 30.11.2007

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अन्तर्गत पंजीकरण आदेश

रूरल आर्गनाइजेशन फार सोसल एडवांसमेन्ट  
ककरमत्ता, डी० एल० डब्ल्यू  
वाराणसी ।

न्यास विलेख/संगम/ज्ञापन/दिनांक 21.07.2003 द्वारा गठित रूरल आर्गनाइजेशन फार सोसल एडवांसमेन्ट ककरमत्ता, डी० एल० डब्ल्यू वाराणसी । ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के अधीन पंजीकरण हेतु विहित पत्र में आवेदन किया है । आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2007 को प्रस्तुत किया । अतएव पंजीकरण दिनांक 30.11.2007 से दिया जाता है । धारा 12A के अधीन आवेदनों के लिए इस कार्यालय में रखे गए रजिस्टर पंजिका में क्रम संख्या 118/2007-08 पर आवेदन दर्ज लिया गया है ।

( एस० एस० कण्णन )

आयकर आयुक्त, वाराणसी ।

दिनांक : 30.11.2007

30.

फा० सं० वारा०/आयुक्त/62(118)/2007-08/2981

1. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-III, वाराणसी ।
2. रूरल आर्गनाइजेशन फार सोसल एडवांसमेन्ट, ककरमत्ता, डी० एल० डब्ल्यू, वाराणसी

( के० के० उपाध्याय )

आयकर उप आयुक्त (मु०-1)

कृते आयकर आयुक्त, वाराणसी ।